छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी)

क्रमांक 01–04/पीडी–छः/ 2633 रायपुर, दिनांक 07-8-2013

आदेश

पूर्ववर्ती मण्डल के परिपत्र क्रमांक संस.(का)/पीडी–3/1680 दिनांक 01.03.02, सहपठित क्रमांक 3564 दिनांक 27.09.04, क्रमांक 01–05/पीडी–तीन/1204 दिनांक 28.02.04, क्रमांक 01–04/पीडी–तीन/1343, क्रमांक 1345, दिनांक 25.03.08 एवं क्रमांक 01–04/पीडी–छः/2478 दिनांक 30.07.13 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार पूर्ववर्ती मण्डल (वर्तमान में विद्युत कंपनियों) की सेवा में रहते हुए **उत्पादन कंपनी के** दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित निम्नलिखित आवेदक/आवेदिकाओं को अनुकंपा आधार पर प्रारंभिक तौर पर दो वर्ष के लिये **कार्यभारित भृत्य** के पद पर वेतनमान रूपये 8050–225–10525–450–14575/– के प्रारंभिक वेतन रूपये 8050/– (रूपये आठ हजार पचास) पर नियुक्त कर उन्हें उनके नाम के समक्ष दर्शित कार्यालयों में कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से पदस्थ किया जाता है। उन्हें समय समय पर देय मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों की भी पात्रता होगी :–

क्रमांक	नाम सर्वश्री	पिता/पति का नाम (मृतक/अक्षम कर्मचारी का नाम)	कार्यालय जहॉ मृतक कर्मचारी पदस्थ था	कार्यालय जिसके अधीन पदस्थ किया जाता है
1	रितेश कुमरे	सहेत्तर लाल कुमरे संयं0पर्य0श्रेणी–दो	अधीक्षण यंत्री (ET&I)-I कोरबा पश्चिम	मुख्य अभियंता (मा0सं0) छ0रा0वि0उत्पा0कं0मर्या0, रायपुर
2	नीरज कुमार टोप्पो	विन्सेंट टोप्पो संयं0सहा0श्रेणी–दो	कोल हस्ता संभाग कोरबा पूर्व	–तदैव–
3	सुरेश वर्मा	समेलाल गवेल संयं0पर्य0श्रेणी–तीन	बाह्य कोल हस्ता संभाग कोरबा पश्चिम	–तदैव–
4	भिरेन्द्र कुमार उरांव	श्रीराम उरांव संयं0सहा0श्रेणी–एक	अधी0यंत्री (संचालन) DSPM कोरबा पूर्व	–तदैव–
5	श्रीमती रंग बाई	रामलाल परि0श्रेणी–दो (सिविल)	सिविल सुधार संभाग कोरबा पूर्व	–तदैव–
6	कु0 मेघा नायक	विजय नायक कार्या0सहा0श्रेणी–तीन	वरि0चिकित्साधिकारी DSPM कोरबा पूर्व	–तदैव–
7	श्रीमती फुलबाई कंवर	चमरा सिंह परि0श्रेणी–एक (संयं0)	अधी0यंत्री (संचालन) डीएसपीएम कोरबा पूर्व	–तदैव–
8	कु0 दीपाली कसेर	कुष्टिदेव परि0श्रेणी–दो (संयं0)	अधी0यंत्री (संचालन)–दो कोरबा पूर्व	–तदैव–
9	श्रीमती सिया बाई	दुबराज सिंह कार्य0परि0 (सुरक्षा कर्मचारी)	मुख्य अभियंता (उत्पा0) कोरबा पूर्व	–तदैव–

अनुकंपा के आधार पर नियुक्त उपरोक्त आवेदक/आवेदिकाओं को दो वर्ष की लगातार संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के पश्चात चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा।

यह नियुक्ति कंपनी द्वारा समय समय पर विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 79(सी) के अंतर्गत निर्धारित किये गये नियमों एवं शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगी साथ ही इस संबंध में निर्दिष्ट नियमों के अलावा अन्य सभी प्रकरणों में यह नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह की सूचना अथवा उसके बदले में सभी भत्तों सहित एक माह के वेतन का भुगतान करने पर समाप्त की जा सकती है।

राज्य शासन/केन्द्रीय शासन अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा जारी कोई परिपत्र अथवा ज्ञापन कंपनी द्वारा ग्राहय किये जाने पर अथवा उनके कंपनी पर लागू होने की स्थिति में वे नियम उम्मीदवारों को बाध्यकारी होंगे।

नियुक्ति प्राप्त उम्मीदवार पर पूर्ववर्ती मंडल की अधिसूचना क्रमांक 01–01/47 दिनांक 05.09.07 के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

उपरोक्त नियुक्ति प्राप्त आवेदकों को उत्पादन कंपनी में उपलब्ध रिक्त पदों पर पुनः पदस्थापना मुख्य अभियंता (मा0सं0) उत्पादन कंपनी रायपुर द्वारा किया जावेगा।

उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0, रायपुर

क्रमांक 01–04/पीडी–छः/2634
रायपुर, दिनांक 07-8-2013

प्रतिलिपिः–

(1) कार्यपालक निदेशक ( ) छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित ....
(2) मुख्य अभियंता ( ) छ0रा0वि0.............. कंपनी मर्या0 ....
(3) महाप्रबंधक ( ), छ0रा0वि0 वित0/होल्डिंग कंपनी मर्या0 रायपुर।
(4) अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0) छ0रा0 विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित रायपुर।
(5) उप महाप्रबंधक (मा0सं0), छ0रा0 विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायपुर।
(6) अधीक्षण यंत्री (........................) छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित ....
(7) कार्यपालन यंत्री (...........................) छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित ....
(8) वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी छ0रा0 विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित ....
(9) स्टाफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष छ0रा0 विद्युत कंपनी मर्यादित, रायपुर।
(10) स्टाफ आफिसर सम्बद्ध प्रबंध निदेशक छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित, रायपुर
(11) श्री ....
....

–को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

टीप :– मुख्य अभियंता (EITC) कृपया इस आदेश को विद्युत कंपनी की अधिकारिक वेबसाईट में प्रकाशित करें।

2. उपरोक्त उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र संलग्न प्रेषित हैं जिसे उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके जन्मतिथि एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर लिया जावे। जन्मतिथि का मिलान पांचवी, आठवीं या हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण–पत्र से ही किया जावे।

3. पुत्री के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में मृतक कर्मचारी की विधवा से इस आशय का शपथपत्र प्राप्त कर लिया जावे कि उसकी पुत्री अविवाहित है तथा वह पूर्णतः मृतक के परिवार पर आश्रित है एवं परिवार से अलग नहीं है।

4. उम्मीदवारों को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सालय के सहायक/सक्षम/अधिकृत चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. उम्मीदवारों के कार्य पर उपस्थित होते समय उनसे चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरा लिया जावे तथा उनसे इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे की यदि चरित्र सत्यापन में उन्हें कंपनी की सेवा/शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाया जाता है तो कंपनी द्वारा उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

6. उम्मीदवारों को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्य पर उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

7. उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण की तिथि तत्काल इस कार्यालय को सूचित की जावे।

8. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त उपरोक्त उम्मीदवारों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/अभिलेख इत्यादि अपने साथ अवश्य लायें :–

क. जन्मतिथि एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र की मूल प्रति (पांचवी आठवीं या हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ख. जिला चिकित्सालय के सहायक/अधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण–पत्र।

ग. पुत्री के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में उम्मीदवार को मृतक कर्मचारी की विधवा का यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी वह पुत्री अविवाहित है तथा पूर्णतः मृतक के परिवार पर आश्रित हैं एवं परिवार से अलग नहीं है।

घ. कार्यभार ग्रहण करते समय उम्मीदवारों को यह घोषणा पत्र देना होगा कि चरित्र सत्यापन में यदि उन्हें कंपनी की सेवा/शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाया जाता है तो कंपनी द्वारा उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

– पैरा 2 से 7 तक संबंधित कार्यालय प्रमुखों के लिये जिनके कार्यालय में नियुक्ति की जा रही है।
– पैरा 8 अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त उम्मीदवारों के लिए।

संलग्नः–यथोपरि (संबंधित कार्यालय के लिये जहाँ पदस्थ किया जाता है।)

प्रबंधक(मा0सं0)–छः
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0, रायपुर